ग्राम पंचायत कुडसां, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024

भाग-एक

1. प्रस्तावना

{क} ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनाँक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत कुडसां, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" तक के लेखों का अंकेक्षण हि.प्र राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती अनू बाला	01-04-22 से 31-03-24

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री प्रीतम चंद	01-04-22 से 31-03-24

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत कुडसां के अवधि "01-04-2022 से 31-03-2024" के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1.	4.2	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में अन्तर पाया जाना	0.03
2.	5	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	11.87
3.	6	प्रियासॉफ्ट में संधारित लेखों तथा हस्तलिखित लेखों के आंकड़ों में बहुत ज्यादा अंतर पाया जाना	1.10
4.	7	गृह कर की नियमित उगाही न करने के कारण पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.43
5.	10	खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने से सम्भावित राजस्व हानि	0.05
6.	11	तकनीकी सहायक को कमीशन के रूप में अपेक्षाकृत अधिक भुगतान करने बारे	0.02
7.	12	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	2.15

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

प्रायः यह भी देखने में आया है कि गत लेखा अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी जो अत्यंत चिंताजनक है। अतः ग्राम पंचायत इन लंबित पैरों के निपटारे हेतु विशेष कार्रवाई करनी सुनिश्चित करें तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवायें ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण संभव हो सके।

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में निम्नलिखित दर्शायी गई है।

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि "04/2017 से 03/2019" तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरा स्थिति	टिप्पणी
1	पैरा 3	अनिर्णीत	
2	पैरा 4	अनिर्णीत	
3	पैरा 5	अनिर्णीत	
4	पैरा 6	अनिर्णीत	
5	पैरा 7	अनिर्णीत	
6	पैरा 8.1	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित
7	पैरा 8.2	अनिर्णीत	
8	पैरा 9	अनिर्णीत	
9	पैरा 10.1	अनिर्णीत	
10	पैरा 10.2	अनिर्णीत	
11	पैरा 11	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित
12	पैरा 12	अनिर्णीत	
13	पैरा 13	अनिर्णीत	
14	पैरा 14	अनिर्णीत	
15	पैरा 15	अनिर्णीत	
16	पैरा 16	अनिर्णीत	

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत कुडसां, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/2022 से 31/03 /2024" तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री अजय कुमार,

कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनाँक 09-05-2024 से 16-05-2024 के दौरान पंचायत कार्यालय, कुडसां में किया गया। लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2021-22	03/23	10/22
2022-23	03/24	07/23

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के सचिव/प्रधान द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत कुडसां, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर **₹4,000**/- बनता है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 239 दिनांक 16.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कुडसां से अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत कुडसां द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

(क) स्व: स्त्रोत:- ग्राम पंचायत कुडसां के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" तक के स्व: स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022-23	121294.00	69244.00	190538.00	81534.00	109004.00
2023-24	109004.00	64188.00	173192.00	80580.00	92612.00

{ख} **अनुदान:-** ग्राम पंचायत कुडसां के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण सलग्न **परिशिष्ट -1** में दिया गया है:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022-23	1816172.06	3074696.00	4890868.06	3444970.30	1445897.76
2023-24	1445897.76	1079925.00	2525822.76	1339033.00	1186789.76

{ग} **दिनांक 31.03.24 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-**

क्रम संख्या	शीर्ष	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1.	General/5TH FC/VKVNY/SBM /RGSA	KCCB INDORA	20076007339	143143.08
2.	14TH FC	KCCB INDORA	50055748824	1996.56
3.	15TH FC	CANARA BANK INDORA	5137101001849	896295.00
4.	SDP/RGSA	KCCB INDORA	50055748971	192898.00
5.	GENERAL/MPLA D/SDP	KCCB INDORA	50055748937	40966.10
5.	हस्तगत रोकड़			865.00
कुल योग				**1276163.74**

4.1 बैंक समाधान विवरणी:-

दिनांक 31-03-24 को बैंक अनुसार अन्त शेष	1276163.74
दिनांक 31-03-24 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्त शेष (क+ख)	1279401.76
अंतर	**3238.02**

4.2 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में ₹0.03 लाख का अन्तर पाया जाना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान नहीं किया गया था, जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31-03-24 को बैंक में कम जमा के रूप में **₹3238.02** की राशि का अन्तर पाया गया, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों एवं बैंक खातों के शेषों का मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 243(1) दिनांक 16.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कुडसां से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर संख्या GP Kursan 1/2024 दिनांक 16.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: अन्तर के कारणों का तथ्यपूर्ण औचित्य प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों एवं बैंक शेषों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.3 निर्देशानुसार अलग – 2 स्कीमों के लिए अलग – 2 बैंक खाते न खोलना :-

निदेशक पंचायती राज के पत्र संख्या PCH-HA(5)C(15)-13(L)5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 में दिए गए निर्देशों के अनुसार अलग – 2 स्कीमों के लिये अलग – 2 खाते खोले जाने अपेक्षित हैं |

पंचायत द्वारा खाता "क", "ख" के अंतर्गत General, 5thFC, VKVNY/SBM/RGSA/SDP ,RGSA/General, MPLAD SDP आदि स्कीमों के लिए हि. प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 4(1) के प्रावधान का उल्लंघन करते हुये एवं पूर्वोक्त पत्रांक में दिए गए निर्देशों के विरुद्ध क्रमशः संयुक्त बैंक खाता KCCB इंदौरा 20076007339/50055748971 व 50055748937 खोला गया था जिससे न केवल निदेशक पंचायती राज के निर्देशों की अवेहलना हुई अपितु खातावार/स्कीमवार प्राप्त अनुदान, ब्याज व भुगतान /व्यय आदि की सत्यता की अंकेक्षण में समुचित पुष्टि नहीं की जा सकी जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है।

अत: इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए नियमानुसार अब तुरंत प्रभाव से निदेशक पंचायती राज के उक्त पत्र में वर्णित निर्देशों के अनुपालनार्थ सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाए |

4.4 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified Abstract) को न तैयार करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुये एक आय तथा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग-अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय-व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय-व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति

तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

4.5 लेखा खाता /खाताबही तैयार न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता / खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस –किस कार्य हेतु कितनी – कितनी राशि प्राप्त हुई है व किस – किस कार्य पर कितना – कितना व्यय हुआ है तथा इन कार्यों को पूरा किया जा चुका है अथवा नहीं | कुछ दृष्टांत मामलों का विवरण निम्नानुसार है :-

अनुदान/शीर्ष	वाउचर संख्या /दिनांक	कार्य का नाम	राशि (₹)
15^{TH} FC	12/06.10.2021	निर्माण शेड समुदायक भवन नजदीक पंचायत घर	103419
15^{TH} FC + मनरेगा	19/19.10.2022	निर्माण रास्ता व चार दीवारी श्मशान घाट चुहड़पुर	41400
SDP + मनरेगा	21/20.10.2022	निर्माण पक्का रास्ता मैंन सड़क से शमशान घाट	4400

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 243(5) दिनांक 16.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कुडसां से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या GP Kursan 1/2024 दिनांक 16.05.2024 द्वारा

अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण अवधि अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

5. अनुदान राशि ₹11.87 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है |

पंचायत द्वारा अनुदानों से सबंधित उपलब्ध करवाई गई सूचना **"परिशिष्ट-1"** के अनुसार दिनांक 31-03-24 तक अनुदान राशि ₹1186789.76 उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्ष के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 243(2) दिनांक 16.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कुडसां से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर संख्या GP Kursan 1/2024 दिनांक 16.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा

अतः शेष अनुदान राशि के सम्बन्ध में पूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके, उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतू व्यय करना सुनिश्चित किया जाये |

6. प्रियासॉफ्ट में संधारित लेखों तथा हस्तलिखित लेखों के आंकड़ों में ₹1.10 लाख का बहुत ज्यादा अंतर पाया जाना :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में E- Panchayat Mission Project (MPP) प्रारम्भ की गई है जिसका क्रियान्वन पंचायती राज विभाग हि. प्र. कर रहा है | इस योजना के क्रियान्वयन के साथ – साथ हि. प्र. पंचायती राज (समान्य) नियम 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागजरहित प्रणाली के अंतर्गत e-panchayt में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है |

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निर्देशों के विरुद्ध लेखों का अनुरक्षण हस्तलिखित तथा प्रिया सॉफ्ट (computerised) दोनों माध्यम से किया जा रहा था तथा जो लेखे Priya Soft में बनाये जा रहें थे,वे बैंक खातों/हस्तलिखित रोकड़ बही खातों से मिलान नहीं खाते | परिणामस्वरूप श्रम व धन का दुरूपयोग हो रहा है एवं **₹110169** का बहुत ज्यादा अंतर पाया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

(क) प्रियासॉफ्ट में दर्ज वार्षिक प्राप्ति /व्यय व हस्तलिखित रोकड़ बही के अनुसार वार्षिक प्राप्ति /व्यय में अंतर (Except MNREGA)

क्रम स.	वर्ष	प्राप्ति (₹)			भुगतान (₹)		
		प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर
1	2022-23	2159240.00	1974745.00	184495.00	2596754.56	2357309.30	239445.26
2	2023-24	880808.00	923104.00	42296.00	1183042.00	1198604.00	15562.00

(ख) प्रियासॉफ्ट रोकड़ बही में दर्शाए गए बैंक शेष तथा बैंक पास बुक शेष में अंतर पाया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है:- (Except MNREGA)

वर्ष	प्रियासॉफ्ट के अनुसार बैंक शेष (₹)	बैंक पासबुक के अनुसार शेष + (CASH IN HAND) (₹)	अंतर
2023-24	1165129.74 + 865 (Cash in Hand) = 1165994.74	**1276163.74**	**110169**

उपरोक्त तथ्यों एवं आंकड़ों से स्पष्ट है कि पंचायत के लेखें खाते सच्ची व सही स्थिति नहीं दर्शाते हैं।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 243(4) दिनांक 16.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर संख्या GP Kursan 1/2024 दिनांक 16.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7. गृह कर की नियमित उगाही न करने के कारण ₹0.43 लाख का पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 34(2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अपने अधीनस्थ सभी स्त्रोतों जहां से राजस्व उत्पन्न होता है, इतनी रकम का, जितनी बैंक, खजाना या अन्य लेखा-जोखा दिया है के लिए उधार दावा करते हुए, मासिक लेखे और विवरणी, अभिप्राप्त करने की व्यवस्था करेगा और उन्हें प्रारूप 10 में मांग रजिस्टर में नोट करवाएगा।

अंकेक्षण में पाया गया कि गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख अर्थात गृह कर के मांग व संग्रहण रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था। पंचायत द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान ₹100 प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि **₹43150** के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.24 को शेष थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट "ख"** व नीचे तालिका में दिया गया है:-

सम्पति कर:-

वर्ष	**पंजीकृत परिवारों की संख्या**	**दर (₹)**	**आ. शेष (₹)**	**मांग (₹)**	**योग(₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**वसूली हेतु शेष राशि (₹)**
2022-23	520	100	24500	52000	76500	40050	36450
2023-24	569	100	36450	56900	93350	50200	43150

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी। मांग व वसूली रजिस्टर का साधारण प्रारूप -10 पर नहीं किया गया था जिससे कि लम्बित गृह कर तथा वसूली का सही पता लगाया जा सके।

अत: गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख का संधारण न करना तथा गृह कर नियमित रूप से वसूल न करना इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है, जो कि उपरोक्त नियमों की अवहेलना के दृष्टिगत आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 243(3) दिनांक 16.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तिय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या GP Kursan 1/2024 दिनांक 16.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा स्पष्ट करते हुये लम्बित करों एवं बकाया राजस्व की शीघ्र नियमित वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

8. विवाह पंजीकरण शुल्क ₹400 की वसूली न करने बारे :-

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या – SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अनुसार विवाह के पंजीकरण हेतु 200 (सामान्य) व आई . आर. डी. पी./बी.पीएल.के लिए 25 पंजीकरण शुल्क व 30 दिनों के बाद 90 दिनों के भीतर 400 (सामान्य)से व 50 आई . आर. डी. पी./बी.पीएल से प्रति विवाह पंजीकरण शुल्क वसूल करके सरकारी कोष में जमा करवाना अनिवार्य है |

अंकेक्षण के दौरान विवाह पंजीकरण रजिस्टर के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 04/22 से 03/24 के दौरान निम्नलिखित आवेदकों का विवाह पंजीकरण किया गया था | परन्तु उक्त अधिसूचना के अनुसार निम्नलिखित आवेदकों से विवाह पंजीकरण शुल्क की नियमानुसार वसूली नहीं की गई थी, जिसका विवरण निम्नानुसार से है:-

क्रम सं0	विवाह पंजीकरण रजिस्टर के अनुसार क्रम संख्या/पेज संख्या	आवेदक का नाम	विवाह की तिथि	रजिस्ट्रेशन की तिथि	वसूल की गई राशि (₹) (A)	रसीद संख्या /दिनांक	वसूली योग्य राशि (₹) (B)	कम वसूली (A-B) (₹)
1.	09/05	श्री अमन कटोच पुत्र श्री करनैल सिंह	17.02.2022	05.05.2022	200	282176/ 05.05.2022	400	200
2.	03/10	श्री सर्वजीत सिंह पुत्र श्री शान सिंह	30.07.2023	08.09.2023	200	492042/ 08.09.2023	400	200
				कुल योग				**400/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 243(6) दिनांक 16.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तिय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर संख्या GP Kursan 1/2024 दिनांक 16.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा ।

अतः वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें|

9. विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे :-

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या – SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त किया जाना अपेक्षित है, जिसे समय-समय पर वसूल करने के उपरांत विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0235-00-800-03" में जमा करवाना अपेक्षित है:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षणावधि के दौरान निम्नानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)
1	**2022-23**	**2400**
2	**2023-24**	**1600**
	कुल योग	**4000/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 243(7) दिनांक 16.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी

अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या GP Kursan 1/2024 दिनांक 16.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करें अथवा विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को नियमानुसार शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

10. खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों के समर्थन में नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख की अनुपस्थिति में रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने के फलस्वरूप राशि ₹0.05 लाख के राजकीय राजस्व की सम्भावित हानि:-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम '81' व '81ए' के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या स्प्लीमेंटरी पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गई थी परन्तु आपूर्तिकर्ता के खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के सम्बन्ध में उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को निम्न विवरणानुसार ₹**4775/-** का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है :-

नाम	मात्रा (cum)	फैक्टर	कुल मात्रा	दर (प्रति टन)	राशि (₹)
रेत	10	1.62	16.20	80	1296
बजरी	12.50	1.52	19	80	1520

रेत	4	1.62	6.48	80	518
बजरी	4	1.52	6.08	80	486
कुल योग					**3820**
पेनल्टी 25%					**955**
कुल योग					**4775/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 244(1) दिनांक 16.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP Kursan 1/2024 दिनांक 16.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण **रॉयल्टी** की गणना नहीं की जा सकी प्रस्तुत उतर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः ₹**4775/-** के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस मामले को सम्बन्धित विभाग से उठाते हुये तदानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हि. प्र. सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853-Non ferrous mining and Metallurgical Industries,102- Mineral Concession fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माह के भुगतानों को रॉयल्टी के लिए जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जांच अपने स्तर पर करके वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार देय रॉयल्टी की वसूली करना सुनिश्चित करें।

11. तकनीकी सहायक को कमीशन के रूप में ₹0.02 लाख का अधिक भुगतान करने बारे:-

पन्द्रवें वित्त आयोग की रोकड़ वही के वाउचर संख्या 13 दिनांक 17.07.2023 व 17 दिनांक 19.07.2023 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि तकनीकी सहायक को उसके द्वारा निष्पादित कार्यो के लिए कमीशन का भुगतान किया गया था।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या –पीसीएच-एचबी(1)2/04-टी0 एस01-1308-84 दिनांक 22.04.2011 के अनुसार तकनीकी सहायक को देय कमीशन 50000 तक के कार्य के लिए 2% तथा 1.50 लाख तक के कार्य के लिए 1.5% व 1.5 लाख से अधिक लागत के कार्यों को करने पर 1% की दर से कमीशन देय होगी | परन्तु पंचायत द्वारा तकनीकी सहायक को 1.5 लाख से अधिक लागत के कार्यों को निष्पादित करने पर 1.5% दर से कमीशन की अदायगी की गई थी, जो कि उपरोक्त निर्देशों के विपरीत है जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	**वाउचर संख्या दिनांक**	**तकनीकी सहायक द्वारा निष्पादित कार्य का नाम**	**निष्पादित कार्य की लागत**	**देय कमीशन**	**उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार देय कमीशन**	**कमीशन के रूप में अधिक भुगतान (₹)**
1	13 दिनांक 17.07.2023	निर्माण वोर वेल शुभाष सिंह की जमीन , सेवा सिंह एवं मुख्त्यार सिंह की जमीन	189309	(189309m X 1.5%) = 2840	(189309 X 1%) = 1893	947
2	17 दिनांक 19.07.2023	निर्माण समुदायक शोचालय नजदीक पंचायत घर कुडसानं	300000	(300000 X 1.5%) = 4500	(300000 X 1%) = 3000	1500
कुल योग						**2447**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 244(6) दिनांक 16.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP Kursan 1/2024 दिनांक 16.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा ।

अत: अतिरिक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि०प्र० के पत्र संख्या: पी०सी० एच०-एच०पी० (15)01/2010-व०स० कांगड़ा-1-76862 दिनांक 29.12.22 की अनुपालनार्थ कृत अपेक्षित कार्यवाही से समर्थित अभिलेख सहित अंकेक्षण को तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा अंकेक्षणावधि में इस सम्बन्ध में किये गये समस्त भुगतानों की समय-2 पर जारी निर्देशों के दृष्टिगत विभागीय स्तर पर समुचित जांच कर वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार अपेक्षाकृत अधिक/ अनियमित भुगतानों की वसूली कर कृत अपेक्षित कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

12. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹2.15 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5)द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार पंचायत द्वारा **₹214980/-** के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	**वा० संख्या, वर्ष/माह**	**फर्म का नाम**	**विवरण**	**राशि (₹)**
1.	**11**, दिनांक 06.10.22	मै. एस. के. ट्रेडर	Sanitary Equipment	28101
2.	**14**, दिनांक 06.10.22	मै. एस. के. ट्रेडर	Sanitary Equipment	35683
3.	**15**, दिनांक 07.10.22	मै. निधि इंजीनियरिंग वर्क्स	Iron Gate	6800
4.	29, दिनांक 25.10.2022	मै. अमृत लाल परवेश कुमार	C.C Sheet , Sheet PPGI, Screw	96015

5.	31, दिनांक 25.10.2022	मै. अमृत लाल परवेश कुमार	M.S Pipe	26254
6.	16, दिनांक 14.07.2023	मै. भगवती कंप्यूटरस	USB Mouse, Laptop Batery etc	5000
7.	09, दिनांक 14.07.2023	मै. गुरु स्टेशनरी जनरल स्टोर	स्टेशनरी	4056
8.	03, दिनांक 12.07.2023	मै. रूप लाल इंजीनियरिंग वर्क्स	Iron Gate	3500
9.	10, दिनांक 14.07.2023	मै. भरत कुमार	DSC	3800
10.	12, दिनांक 14.07.2023	मै. एस. के. ट्रेडर	Sanitary Equipment	5771
	कुल योग			**214980/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 244(4) दिनांक 16.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP Kursan 1/2024 दिनांक 16.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

ग्राम पंचायत द्वारा निविदा सम्बन्धित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही कार्यों को करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाये बिना कृत व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में कार्यों को करने से पूर्व आवश्यक निर्धारित औपचारिकताएं विधिवत पूर्ण करने के उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए व तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13. ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु जारी राशि से सम्बन्धित माप पुस्तिका अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 79(2) अनुसार पंचायत सचिव संपरीक्षा के संचालन के लिए, संपरीक्षक (कों) सुसंगत अभिलेख/रजिस्टर प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा और सभी अभिलेखों विवरणियों और लेखों के रजिस्टर संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए तैयार रखेगा|

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु जारी राशियों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गईं जिसके आभाव में कृत के व्यय की सत्यता की जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। निर्माण कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	शीर्ष	स्वीकृत राशि (₹)
1	निर्माण शैड सामुदायक भवन नजदीक पंचायत घर	15TH FC	225000
2	निर्माण रास्ता व् चार दिवारी श्मशान घाट चुहड़पुर	15TH + मनरेगा	450000
3	C/O Path main road to samshan ghat	15th FC + SDP + मनरेगा	1000000
4	निर्माण बोर वेल सेवा सिंह , मुख्त्यार सिंह एवं शुबश सिंह जमीन	15TH FC	190000

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 244(5) दिनांक 16.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP Kursan 1/2024 दिनांक 16.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः वांछित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने का नियमानुसार तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा हि०प्र०पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संख्यापरीक्षा, संख्याकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के नियम 101 (2) (iii) की अनुपालना सुनिश्चित करते हुये अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाये।

14. बिल/ वाउचरों के भुगतान हेतु पारित आदेश सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूरा न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संख्यापरीक्षा, संख्याकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1) में पंचायत द्वारा भुगतान आदेश जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान बिलों के भुगतान हेतू उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया था, जिनमें से चयनित माह के व्यय का विवरण निम्न दिया गया है :-

क्र° स°	बर्ष	चयनित माह	चयनित माह में पारित बिलों की कुल राशि (₹)
1.	2022-23	10/22	850564.00
2.	2023-24	07/23	482018.00

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 244(2) दिनांक 16.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP KURSAN -01 दिनांक 16.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

15. विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख-रखाव न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है|

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था। लेखांकन प्रक्रिया एवं अभिलेख के अधूरे एवं त्रुटिपूर्ण होने के कारण पंचायत राजस्व के रिसन (leakage) एवं दुरूपयोग की सम्भावना से अंकेक्षण में इन्कार नहीं किया जा सकता है। जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र. स.	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	मासिक बैंक समाधान विवरणी	---	15(1)
3	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
4	रसीद बुक जारी करने का रजिस्टर	---	31
5	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(14)
6	सहायक अनुदान रजिस्टर, हि. प्र. पंचायती राज सामान्य नियम 1997	8	34
7	बिल रजिस्टर	13	48
8	डाक टिकत रजिस्टर	24	61 (2)
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डा रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण न करना	25 व 26	72(1) (ए,बी)

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 244(7) दिनांक 16.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP Kursan 1/2024दिनांक 16.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

16. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया।

17. लघु-आपति विवरणिका :- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई हैं।

18. निष्कर्ष:- लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवयश्कता है।

23 AUG 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009

का0/प्रति

4182- 4186

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)232/2019—खण्ड—1 दिनाँक, शिमला—09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्या कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत कुडसां, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

23 AUG 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009

का0/प्रति

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-22 OF GRAM PANCHAYT KURSAN BLOCK INDORA DISTRICT INDORA PINCODE 176401

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2022-23	**121294**	69244.00	190538	81534.00	109004.00

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2022 IN CASH BOOK **121294.00**

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-23 OF GRAM PANCHAYT KURSAN BLOCK INDORA DISTRICT KANGRA PINCODE 176401

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2023-24	109004.00	64188.00	173192	80580.00	92612

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2023 IN CASH BOOK **109004.00**

24

परिशिष्ट-1 पैरा-5 के संदर्भ में

FINANCIAL POSITION OF GRANT-IN-AID OF GP KURSAN BLOCK INDORA FOR THE YEAR 2022-23

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	96814.56	1378.00	98192.56	96226.00	1966.56
2	MGNREGA	0	1169195.00	1169195.00	1169195.00	0.00
3	PMKSY	0	0.00	0.00	0.00	0.00
4	5TH FC	124159	329076.00	453235.00	311234	142001.00
5	GRDY	58445	24900.00	83345.00	83345.00	0.00
6	MPLAD	0	50000.00	50000.00	33100.00	16900.00
7	RGSA	207413.5	0.00	207413.50	166568.50	40845.00
8	VKVNY	0	0.00	0.00	0	0.00
9	SDRF	0	0.00	0.00	0.00	0.00
10	ZP	0	16441.00	16441.00	0.00	16441.00
11	TSC	2493	18.00	2511.00	2511.00	0.00
12	PMAGY	0	0.00	0.00	0.00	0.00
13	SBM	0	200000.00	200000.00	196527.90	3472.10
14	SDP	0	225000.00	225000.00	222474.90	2525.10
15	MMGPY	0	0.00	0.00	0.00	0.00
16	15TH FC	**1326847.00**	1058688.00	2385535.00	1163788.00	1221747.00
	TOTAL	**1816172.06**	**3074696.00**	**4890868.06**	**3444970.30**	**1445897.76**

FINANCIAL POSITION OF GRANT IN AID OF GP KURSAN BLOCK INDORA FOR THE YEAR 2023-24

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	1966.56	0.00	1966.56	0.00	1966.56
2	MGNREGA	0.00	221009.00	221009.00	221009.00	0.00
3	PMKSY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	5TH FC	142001.00	270000	412001.00	264700	147301.00
5	GRDY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	MPLAD	16900.00	0	16900.00	0	16900.00
7	RGSA	40845.00	0.00	40845.00	0.00	40845.00
8	VKVNY	0.00	120000	120000.00	62756	57244.00
9	SDRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	ZP	16441.00	0.00	16441.00	0.00	16441.00
11	TSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	PMAGY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	SBM	3472.10	10000.00	13472.10	10000.00	3472.10
14	SDP	2525.10	299870.00	302395.10	296070.00	6325.10
15	MMGPY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	15TH FC	1221747.00	159046.00	1380793.00	484498.00	896295.00
	TOTAL	**1445897.76**	**1079925.00**	**2525822.76**	**1339033.00**	**1186789.76**

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF GRANT IN AID AS ON 01-04-2023 IN CASH BOOK **1445897.76**

J.A

25

BANK DETAIL OF GP KURSAN BLOCK INDORA DISTRICT KANGRA				
CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 01-04-22				
S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMOUNT
1	General/5TH FC/VKVNY/SBM/RGSA	KCCB INDORA	20076007339	297899.50
2	14TH FC	KCCB INDORA	50055748824	96814.56
3	15TH FC	CANARA BANK INDORA	5137101001849	1326847.00
4	SDP/RGSA	KCCB INDORA	50055748971	182012.00
5	GENERAL/MPLAD/SDP	KCCB INDORA	50055748937	30900.00
6	TSC	KCCB INDORA	50055748846	2493.00
CASH IN HAND				500.00
TOTAL				1937466.06

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-23				
S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMOUNT
1	General/5TH FC/VKVNY/SBM/RGSA	KCCB INDORA	20076007339	79459.08
2	14TH FC	KCCB INDORA	50055748824	1966.56
3	15TH FC	CANARA BANK INDORA	5137101001849	1221747.00
4	SDP/RGSA	KCCB INDORA	50055748971	187204.00
5	GENERAL/MPLAD/SDP	KCCB INDORA	50055748937	35573.00
6	TSC	KCCB INDORA	50055748846	0.00
CASH IN HAND				960
TOTAL				1526909.64

BANK DETAIL OF GP KURSAN BLOCK INDORA DISTRICT KANGRA				
CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-24				
S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMOUNT
1	General/5TH FC/VKVNY/SBM/RGSA	KCCB INDORA	20076007339	143143.08
2	14TH FC	KCCB INDORA	50055748824	1996.56
3	15TH FC	CANARA BANK INDORA	5137101001849	896295.00
4	SDP/RGSA	KCCB INDORA	50055748971	192898.00
5	GENERAL/MPLAD/SDP	KCCB INDORA	50055748937	40966.10
CASH IN HAND				865.00
TOTAL				1276163.74

प्रधान सचिव
ग्राम पचायत कुडसां
विकास खण्ड इन्दौरा
जिला काँगड़ा (हि० प्र०)

" परिशिष्ट -ख" पैरा - 7 के संदर्भ में

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-23 OF GRAM PANCHAYT KURSAN BLOCK INDORA DISTRICT KANGRA

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2022-23	520	100	24500	52000	76500	40050	36450

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-24 OF GRAM PANCHAYT KURSAN BLOCK INDORA DISTRICT KANGRA

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2023-24	569	100	36450	56900	93350	50200	43150

प्रधान सचिव
ग्राम पचायत कुडसां
विकास खण्ड इन्दौरा
जिला कौंगड़ा (हि0 प्र0)

J.A

27